

क्रमांक:-

दिनांक : 17.03.2021

उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)
पुराना कोल डिपो झोटवाड़ा रोड़,
पानी पेच, जयपुर- 302016

विषय : जयपुर जिले की तहसील कोटपूतली के ग्राम- दूदावास व बूचारा (वन खण्ड गावडी - 68) में क्वार्ट्ज एवं फ़ैल्सपार खनन कार्य हेतु 32.5417 हैक्टर वन भूमि के अनारक्षण के क्रम में।

सन्दर्भ : कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) का पत्र क्रमांक : एफ () वसंजउ/2020-21/1403 दिनांक 17/02/2021 (Proposal No. : FP/RJ/MIN/7942/2014)

महोदय,

उपरोक्त विषयाअन्तर्गत निवेदन है कि तहसील कोटपूतली के ग्राम- दूदावास व बूचारा (वन खण्ड गावडी - 68) में क्वार्ट्ज एवं फ़ैल्सपार खनन कार्य हेतु 32.5417 हैक्टर वन भूमि के अनारक्षण हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव आपके कार्यालय में प्रेषित किये गये थे एवं परिक्षण उपरान्त आपके द्वारा उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में कुछ आक्षेप लगाये गये थे जिनकी बिन्दुवार पालना कर रिपोर्ट आपके अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Point Wise Compliance Report:

Point No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
1	आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली में साईट मैप स्पष्ट नहीं हैं।	बिन्दु सख्या 1 के क्रम में सेशोधित साईट मैप पार्ट-1 के अतिरिक्त दस्तावेजों में अपलोड कर दिया गया है।
2.	आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने का शपथ पत्र लगाया गया है, जबकि वन भूमि से लगती हुई समतुल्य गैर वन भूमि का आवंटन वन विभाग के नाम करवाने की कार्यवाही करवाकर उसका राजस्व नक्शा, जमाबंदी, जी0 टी0 शीट पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसी के0एम0एल0 फाईल व जी0पी0एस0 कॉडिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव व LAND SUITABILITY CERTIFICATE बनाये जा सके।	हमारे पत्र दिनांक 25.07.2020 के अनुसार जिला कलक्टर, जयपुर को निवेदन किया गया है कि ग्राम बुचारा, तहसील पावटा, जिला जयपुर में खसरा नम्बर 1249/1863 हेक्टेयर भूमि किस्म पहाड का सम्पूर्ण क्षेत्रफल व खसरा नम्बर 1194 क्षेत्रफल 53.60 हेक्टेयर भूमि किस्म पहाड का आंशिक क्षेत्रफल 18.8217 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 72.4217 हेक्टेयर सरकारी खाते की भूमि मौके पर खाली है जिसमें से हमारे प्रस्ताव के लिए 32.5417 हेक्टेयर सुरक्षित रखने का निवेदन किया है। संबंधित भूमि का खसरा मैप एवं जमाबंदी संलग्न है।
3.	मौके पर प्रस्तावित स्थल का सीमा चिन्हों (पिलर्स) द्वारा सीमांकन किया जावें, ताकि मौका निरिक्षण किया जा सकें।	बिन्दु सख्या 3 के क्रम में मौके पर प्रस्तावित भूमि के पिलर्स बनवा दिए गए हैं।
4	प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों/नक्शों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी (खनि विभाग) का नाम, पद व दिनांक अंकित नहीं हैं।	बिन्दु सख्या 4 के क्रम में प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों/नक्शों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी (खनि विभाग) का नाम, पद व

		दिनांक अंकित कर दिया गया है। अधिकारी का नाम—श्री राकेश शेषमा पद— सहायक खनि. अभियन्ता, कोटपुतली
5	प्रस्ताव के संलग्न FRA Certificate की मूल प्रति लगाया जाना प्रस्तावित है।	As per the provision under Forest (Conservation) amend Rules, 2016, the compliance under FRA is not required for consideration of in principle approval Ref. File No. 11-43/2013-FC dated 26.02.2019 FRA Certificate के संदर्भ में कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला परिषद, माडा जयपुर द्वारा पत्र जिपअ/माडा/वनाधिकार/2020-21/ 2746-48 दिनांक 11.02.2021 उपखण्ड अधिकारी पावटा एवं पत्र जिपअ/माडा/वनाधिकार/2020-21 / 2749-51 दिनांक 11.02.2021 द्वारा विकास अधिकारी पावटा से वन अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अर्न्तगत मौका रिपोर्ट मांगी गई पत्र संलग्न है। जिसका जवाब पत्र पंसपा/प्रगति शाखा/2021/52-44 दिनांक 09.03.2021 मौका रिपोर्ट पेश की गई तथा उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली द्वारा पत्र संख्या 2021/560 दिनांक 10.03.2021 द्वारा श्रीमान जिला कार्यकारी अधिकारी एवं जिला कलक्टर जयपुर को मौका रिपोर्ट पेश की गई। पत्र संलग्न है। आगे की कार्यवाही विचाराधीन है।
6	पूरे प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का दिया जाना प्रस्तावित है।	आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।
7	प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप पर खसरा मैप एक ही शीट पर सुपर इम्पोज नहीं किया गया है।	बिन्दु सख्या 7 के क्रम में प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप पर खसरा मैप एक ही शीट पर सुपर इम्पोज कर दिया गया है। हार्ड प्रति संलग्न है।
8	प्रस्तावित खनन क्षेत्र को इकजाई खसरा शीट पर मार्क किया जाना प्रस्तावित है।	बिन्दु सख्या 8 के क्रम में प्रस्तावित खनन क्षेत्र को इकजाई खसरा शीट पर मार्क कर दिया जाना संभव नहीं है। हार्ड प्रति संलग्न है।

भवदीय

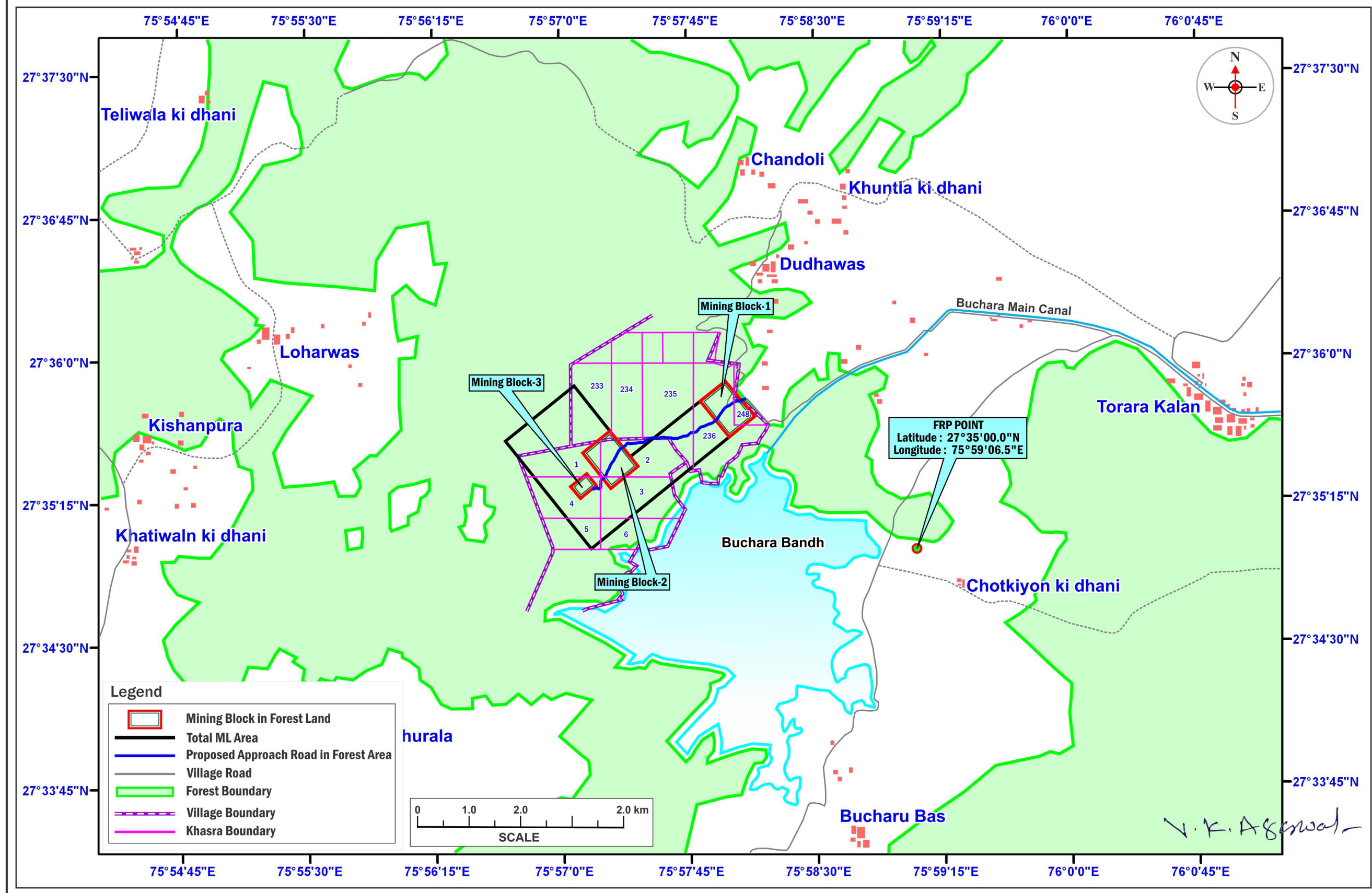


(विष्णु कुमार अग्रवाल)
प्रोपराईटर

DIGITAL MAP WITH KHASRA MAP OF PROPOSED MINING BLOCK AND APPROACH ROAD

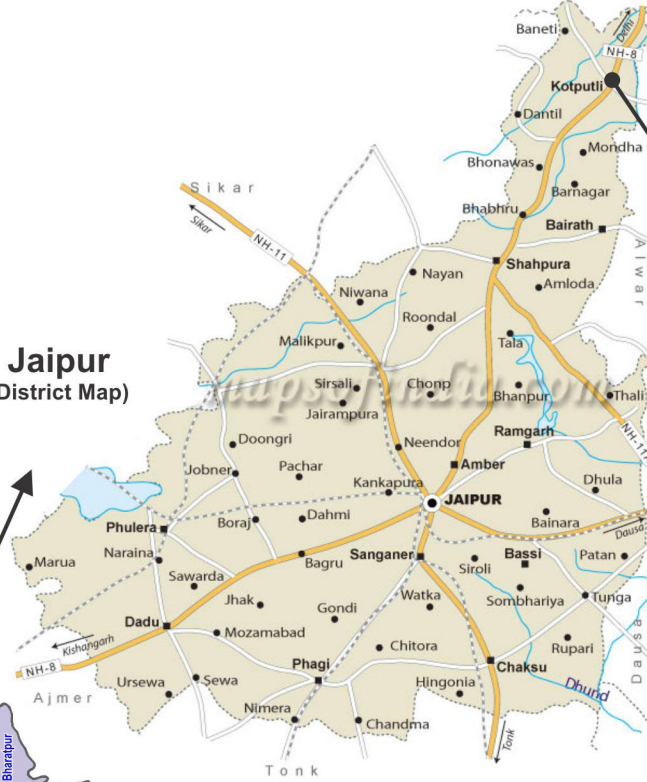
Project Name : Quartz and Felspar Mines in Revenue Village - Buchara & Dudawas, Tehsil – Kotputli, District - Jaipur (Raj.)

Proposal No. : FP/RJ/MIN/7942/2014 (Applied Area : 32.5417 Hectare)



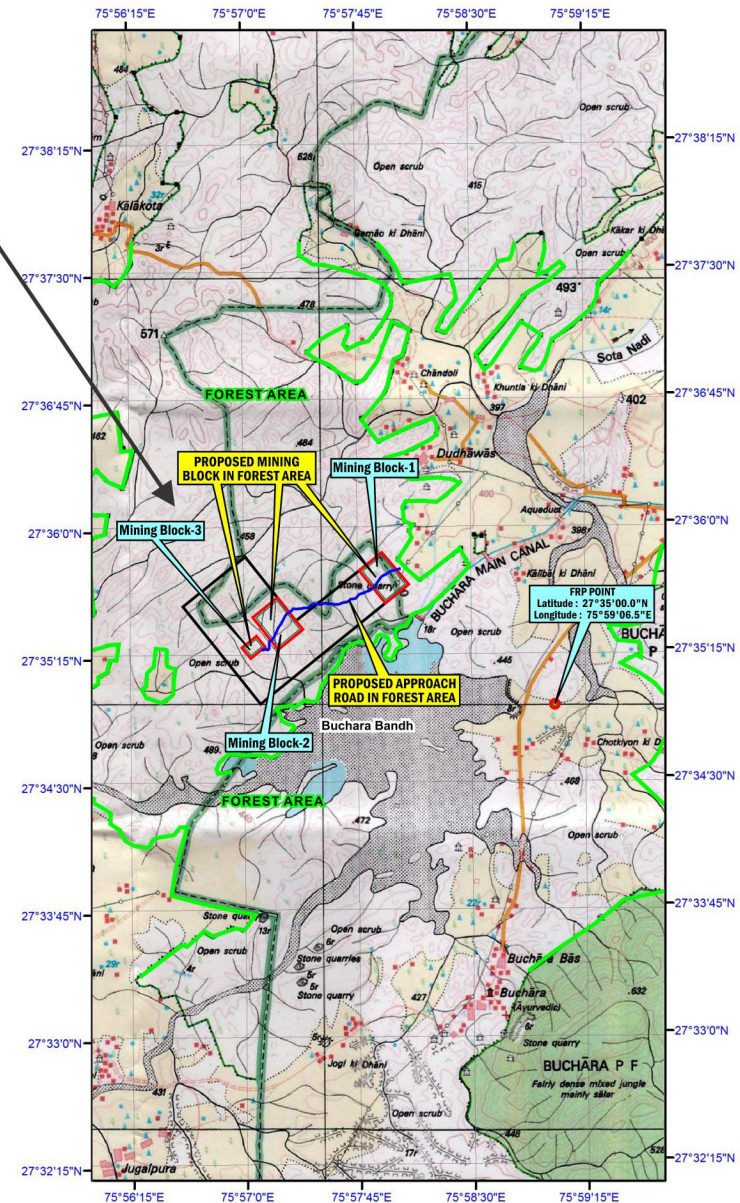


Jaipur
(District Map)



SITE LOCATION MAP OF PROPOSED MINING BLOCK AND APPROACH ROAD

Project Name : Quartz and Felspar Mines in Revenue
Village - Buchara & Dudawas, Tehsil - Kotputli, District - Jaipur (Raj.)
Proposal No. : FP/RJ/MIN/7942/2014 (Applied Area : 32.5417 Hectare)



V. K. Agarwal

क्रमांक: निदे/अनिखा/डाय-सीकर-नीमकाथाना/प.-1/2015/दिनांक: 11 04.2016
✓ श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
जिला कार्यालय
जयपुर(राज0)

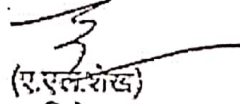
विषय:- खनन प्रयोजनार्थ क्षेत्र 32.5417 है० वन भूमि का प्रत्यर्पण निकट ग्राम
दूदावास तह० नीमकाथाना जिला सीकर व तह० कोटपूतली जिला
जयपुर (एम.एल.नं.7/75)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत में निवेदन है कि आलौच्य वन अनारक्षण प्रकरण के
संबंध में नियमानुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा का आयोजन
करा जिला स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

इसी प्रकरण के संबंध में वन भूमि के बदले में गैर वन भूमि का आवंटन
32.5417 है० गैर वन भूमि का आवंटन भी कराने का श्रम करावें।

भवदीय,


(ए.एल.शेख)

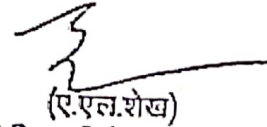
अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

क्रमांक: निदे/अनिखा/डाय-सीकर-नीमकाथाना/प.-1/2015/दिनांक: 11 04.2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 11/10-1411

1. सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना को श्री विष्णु कुमार अग्रवाल के प्रतिवेदन
दिनांक 02.04.2016 की छायांप्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण के संबंध में जिला
कलेक्टर महोदय से वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं
न.1 भूमि के बदले गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें एवं
विन्दु सं. 7 के मुख्य विन्दु 1, 2, 3 व इनके सब विन्दु 1 से 6 तक की कार्यवाही पूर्ण
करावें।

2. श्री विष्णु कुमार अग्रवाल D-46B, Malviya Marg, C-Scheme Jaipur

संलग्न उपरोक्तानुसार


(ए.एल.शेख)

अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

निदेशालय, खान एवं मृ विज्ञान

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,

खनिज भवन/Khanij Bhavan जयपुर/Jaipur-313001

दूरभाष/Phones: 2415091-95 फैक्स/Fax: (0294) 2410526

(ANNEXURE-VI)

क्रमांक-निदे/अनिखा/डाय-सीकर-नीमकाथाना/प.1/2015/891

दिनांक 31/5/2019

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
जिला कार्यालय,
जयपुर (राज०)।

विषय:- खनन प्रयोजनार्थ क्षेत्र 32.5417 हे० वन भूमि का प्रत्यापण निकट ग्राम
दूदावास तह० नीमकाथाना जिला सीकर व तह० कोटपूतली जिला
जयपुर (एम.एल.नं०/75)

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक निदे/अनिखा/डाय-सीकर-नीमकाथाना/प.1
/2015/1409 दिनांक 11.04.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में नियमानुसार वन
अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम समा का आयोजन किया जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र
जारी करने हेतु तथा वन भूमि के बदले गैर वन भूमि का आवंटन किया जाना है, जो आदिनांक
तक अंतिमित है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

(एम.पी. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

दिनांक 31/5/2019

क्रमांक-निदे/अनिखा/डाय-सीकर-नीमकाथाना/प.1/2015/892

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना को श्री विष्णु कुमार अग्रवाल के प्रतिवेदन दिनांक
02.05.2019 की छायाप्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण के संबंध में जिला कलक्टर
महोदय से वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वन भूमि के
बदले गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
2. श्री विष्णु कुमार अग्रवाल, D-46B, Malviya Marg, C-Scheme Jaipur

(एम.पी. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

क्रमांक : जिपज/माडा/वनाधिकार/2020-21/2746-48

दिनांक:- 11/02/2021

✓ उपखण्ड अधिकारी,
कोटपूतली,
जिला जयपुर।

विषय:-ग्राम दूदावास, ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में
खनन प्रयोजनार्थ 32.5417 है० वनभूमि के विपथन (Diversion) प्रस्ताव के सम्बंध
में।

सन्दर्भ:-श्रीमान् जिला कलक्टर जयपुर को सम्बोधित मैसर्स विष्णु कुमार अग्रवाल
डी-46-बी, मालवीय मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के पत्र दिनांक 02.01.2021

महोदय,

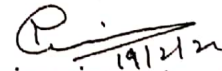
उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित व संलग्न अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित
नियम 2012 के अन्तर्गत ग्राम दूदावास, ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान तहसील कोटपूतली, जिला
जयपुर में खनन प्रयोजनार्थ 32.5417 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन का जिला स्तर से प्रमाण पत्र जारी
करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर के निर्देशों की पालना में प्रकरण
के सम्बंध में निम्नानुसार सूचना प्रस्तुत करें:-

1. प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत कोई याचिका
दायर की गई है तो उसका निस्तारण हुआ है अथवा नहीं। विस्तृत विवरण सहित सूचना प्रेषित
करें।
2. प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत कोई
दावा/प्रकरण विचाराधीन है अथवा नहीं। विस्तृत विवरण सहित सूचना प्रेषित करें।

उक्त पत्र समक्ष स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

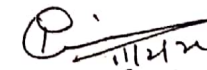

दिपांशु सांगवान (R.A.S.)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद जयपुर

दिनांक:- 11/02/2021

क्रमांक : जिपज/माडा/वनाधिकार/2020-21/2746-48
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जिला जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)

क्रमांक : जिपज / माडा / वनाधिकार / 2020-21 / 2749-51

दिनांक:- 11/2/2021

विकास अधिकारी,
पावटा,
जिला जयपुर।

विषय:- ग्राम दूदावास, ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में
खनन प्रयोजनार्थ 32.5417 है० वनभूमि के विपथन (Diversion) प्रस्ताव के सम्बंध
में।

सन्दर्भ:- श्रीमान् जिला कलक्टर जयपुर को सम्बोधित मैसर्स विष्णु कुमार अग्रवाल
डी-46-बी, मालवीय मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के पत्र दिनांक 02.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित व संलग्न अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित
नियम 2012 के अन्तर्गत ग्राम दूदावास, ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान तहसील कोटपूतली, जिला
जयपुर में खनन प्रयोजनार्थ 32.5417 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन का जिला स्तर से प्रमाण पत्र जारी
करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर के निर्देशों की पालना में प्रकरण
के सम्बंध में निम्नानुसार सूचना प्रस्तुत करें:-

1. प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत कोई याचिका
दायर की गई है तो उसका निस्तारण हुआ है अथवा नहीं। विस्तृत विवरण सहित सूचना प्रेषित
करें।
2. प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत कोई
दावा/प्रकरण विचाराधीन है अथवा नहीं। विस्तृत विवरण सहित सूचना प्रेषित करें।

उक्त पत्र समक्ष स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

दिपाशु सांगवान (R.A.S.)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद जयपुर

दिनांक:- 11/2/2021

क्रमांक : जिपज / माडा / वनाधिकार / 2020-21 / 2749-51

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जिला जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

दिपाशु सांगवान

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद जयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटपूतली

कमाक: /2021/560

दिनांक: 10.03.2021

श्रीमान जिला कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद जयपुर।

विषय :- ग्राम दूदावास, ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान में खनन प्रयोजनार्थ 32.5417 है0
वनभूमि में विपथन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटपूतली का पत्रांक : पंसपा/प्रगति
शाखा/2021/5244 दिनांक 09.03.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री विष्णु कुमार अग्रवाल प्रोपराईटर निवासी मालवीय नगर जयपुर द्वारा ग्राम दूदावास, ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में खनन प्रयोजनार्थ 32.5417 हैक्टयर वन भूमि के विपथन (Diversion) के प्रस्ताव के संबंध में FRA Certificate जारी करने के संबंध में दिनांक 22.02.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पत्र प्राप्त हुआ था। जिसकी जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटपूतली द्वारा करवाई गई। उक्त के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटपूतली द्वारा प्राप्त मूल रिपोर्ट पत्र के संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : मूल रिपोर्ट।

(सुनीता मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

कोटपूतली

दिनांक: 10.03.2021

कमाक: /2021/561

प्रतिलिपि : श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनीता मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

कोटपूतली

दिनांक: 22.02.2021

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, जयपुर

विषय:- ग्राम दूदावास, ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान, तहसील-कोटपुतली, जिला-जयपुर में खनन
प्रयोजनार्थ 32.5417 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन (Diversion) प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय,

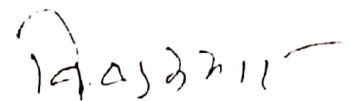
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन
निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012
के अन्तर्गत FRA Certificate जारी होना है जो कि आपके कार्यालय स्तर पर लंबित है।

प्रस्तावित भूमि के संबंध में कार्यालय उपवन संरक्षक जयपुर (उत्तर) द्वारा दिनांक 17.02.
2021 को पत्र जारी किया गया है। कृपया उक्त पत्र का अवलोकन करें (जिसकी प्रति संलग्न है)
तथा पत्र के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार FRA Certificate की माँग की गई है जो कि आपके स्तर
पर जारी होना है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण में उचित कार्यवाही करवाकर FRA Certificate
शीघ्र जारी कराने का श्रम करें जो कि प्रस्ताव के साथ ऑनलाइन जमा कराया जा सके।

धन्यवाद।

भवदीय



विष्णु कुमार अग्रवाल
प्रोपराईटर

संलग्न- कार्यालय उपवन संरक्षक जयपुर (उत्तर) पत्र दिनांक 17.02.2021

प्रतिलिपी- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- ✓ 1. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) पता- पुराना कोल डिपो, झोटवाड़ा रोड, पानीपेच, जयपुर-302016 -
आपके पत्र क्रमांक एफ () FCA/उवसंजउ/2020-21/1403 दिनांक 17.02.2021 के बिन्दु संख्या 5 के
संबंध में।
- ✓ 2. एस.डी.ओ. कोटपुतली - कृपया प्रकरण में आपकी रिपोर्ट शीघ्र जारी करने का श्रम करें।
- ✓ 3. बी.डी.ओ. पावटा - कृपया प्रकरण में आपकी रिपोर्ट शीघ्र जारी करने का श्रम करें।

क्रमांक:- पंसपा/प्रगति शाखा/2021/5244

दिनांक:- 09/03/2021

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद जयपुर।

विषय :- ग्राम दूदावास, ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान में खनन प्रयोजनार्थ 32.5417
है0 वनभूमि में विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक जिपज/माडा/वनाधिकार/2020-21/2749-51 दिनांक
11.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके उक्त पत्रांक के संबंध में ग्राम पंचायत
टोरडा गुजरान के ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मूल ही सलंगन कर श्रीमानजी को
आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलंगन :- ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति पावटा

कार्यालय ग्राम पंचायत टोरडा गुजराण, प.स. पावटा जिला (राज.)

क्रमांक- 325417/2021/284

दिनांक-05/03/2021

श्रीमान विकास अधिकारी महोदया
पंचायत सांगिति पावटा

विषय :- ग्राम दूदावारा, ग्राम पंचायत टोरडा गुजराण में खनन प्रयोजनार्थ 32.5417 है0 वनभूमि में
विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रासंग :- पंचायत सांगिति पावटा के पत्रांक पंसापा/पंचाशा/2021/4951-53 दिनांक:-15.02.2021
के कम में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत ग्राम दूदावारा ग्राम पंचायत टोरडा गुजराण तहसील कोटपतली जिला जयपुर में खनन प्रयोजनार्थ 32.5414 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन का जिला स्तर से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उक्त खनन का ब्लॉक संख्या 01 राजस्व ग्राम दूदावारा में खसरा न. 236, 248 किस्म गै.मु.पहाड राज. वन विभाग की खातेदारी भूमि व ब्लॉक संख्या 02 का पिलर न. I ग्राम दूदावारा में खसरा न. 234 किस्म गै.मु.पहाड राज. वन विभाग की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं की रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है-

बिन्दु संख्या	बिन्दु का विवरण	जवाब
01	प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत कोई यादिका दायर की गई है तो उसका निस्तारण हुआ है अथवा नहीं। विस्तृत विवरण सहित सूचना प्रेषित करें।	मौका निरीक्षण व ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत कोई यादिका दायर नहीं की गई है।
02	प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत कोई दावा/प्रकरण विचाराधीन है अथवा नहीं।	मौका निरीक्षण व ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत कोई दावा/प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

Vishmy
विकास अधिकारी
ग्राम विकास अधिकारी
प.स. पावटा टोरडा गुजराण

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 18/07/2020 12:01:37 PM

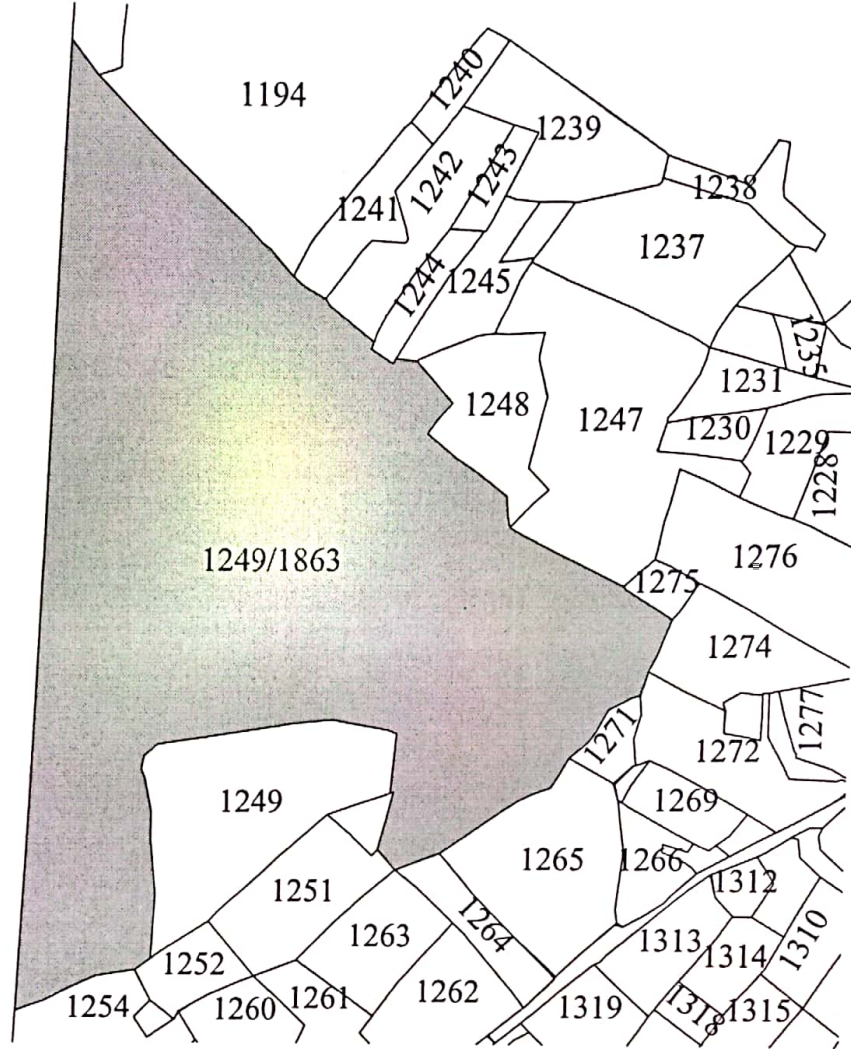
जिला : जयपुर

तहसील : पावटा

भू. अ. नि. क्षेत्र : टसकोला

पटवारी हल्का : बुचारा

ग्राम : बुचारा



Scale 1:5500

खसरा संख्या : 1249/1863 क्षेत्रफल : 13.7200 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1
मि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : पहाड़ [13.7200]

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 18/07/2020 12:00:24 PM

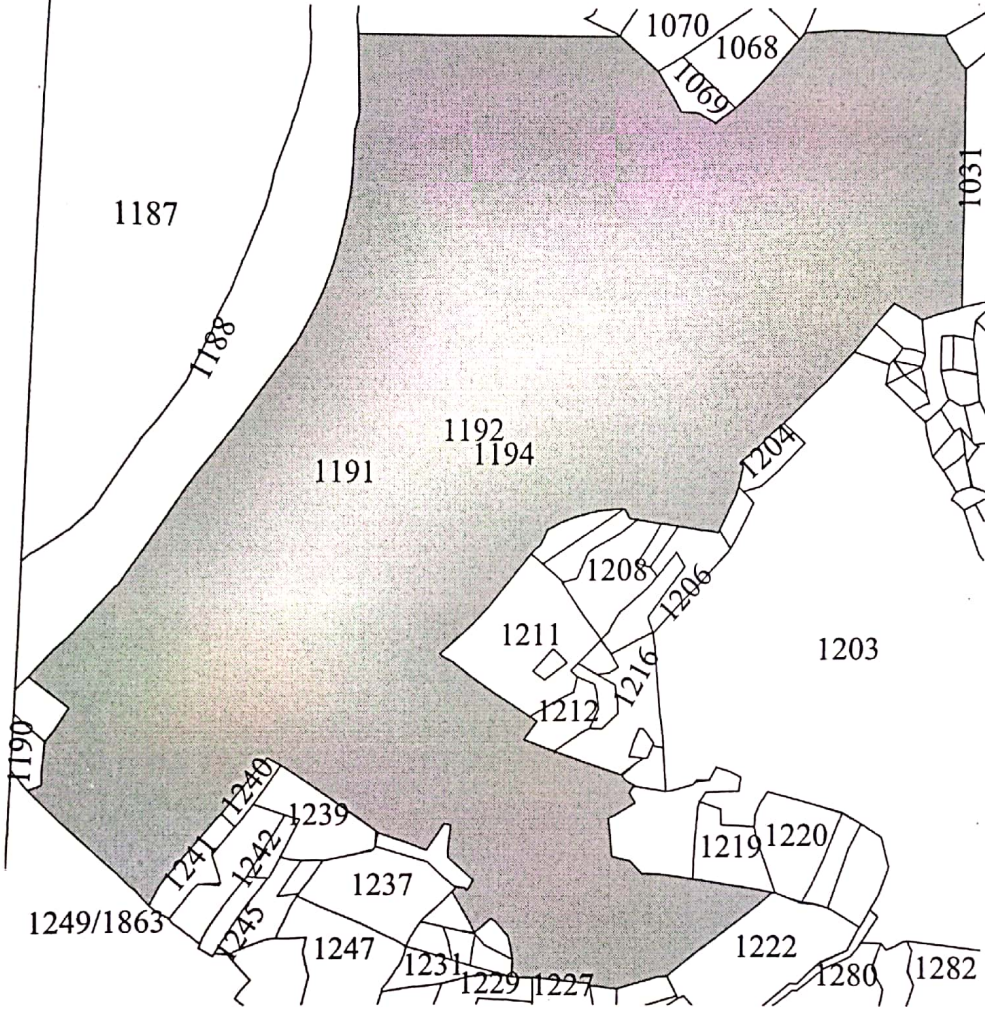
जिला : जयपुर

तहसील : पावटा

भू. अ. नि. क्षेत्र : टसकोला

पटवारी हल्का : बुचारा

ग्राम : बुचारा



Scale 1:8500

खसरा संख्या : 1194 क्षेत्रफल : 53.6000 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : पहाड़ [53.6000]

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

VILLAGE BUCHARA (KOTPUTLI-JAIPUR)

G T SHEET MAP

27° 55' 54" N

27° 55' 56" N

27° 55' 57" N

27° 55' 58" N

27° 55' 59" N

27° 55' 53' 34" E

27° 55' 53' 34" E

27° 55' 53' 34" E

27° 55' 53' 34" E

27° 55' 53' 34" E

1194 part
18.8217

1249/1863
13.72

LEGENDS

- FORESTLINE
- Unknown Area Type
- 1194 part 18.8217
- 1249/1863 13.72